उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 10/2015/वे0आ0-2-224/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0,

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ" में समीक्षा अधिकारी (नियमावली) वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/- के रिक्त पद पर श्री रक्षपाल सिंह, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी (सचिवालय सेवा) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह के लिए निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

(1) श्री रक्षपाल सिंह को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि में श्री रक्षपाल सिंह को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अंतिम आहरित मूल वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आकलित हो तथा श्री सिंह को देय मंहगाई भत्ता अन्तिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3) श्री रक्षपाल सिंह को पुनर्योजन की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में श्री रक्ष पाल सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) पुनर्योजन की अवधि में श्री रक्ष पाल सिंह को पेंशन पर मंहगाई राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

(7) श्री रक्ष पाल सिंह, समीक्षा अधिकारी को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अधीन लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105 विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग और समितियॉ-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या-10/2015/वे0आ0-2-224(1)/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(7) सम्बन्धित अधिकारी।

(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।